

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक-...../आ0प्र0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

सेवा में,

निदेशक,

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,

बिहार, पटना।

मधेपुरा, दिनांक-...../...../2017

विषय :- टेंट का क्रय हेतु निविदा प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि संभावित बाढ़ 2017 के मद्देनजर प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों को शरण स्थल में आवासन के लिए टेंट का आवश्यकतानुसार क्रय हेतु निविदा प्रकाशन किया जाना है।

अतः पुर्ननिविदा सूचना का प्रारूप की पाँच प्रतियाँ एवं सी0डी0 इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्र यथा दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान में निविदा प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।


ज्ञापांक : 333...../ आ0प्र0, मधेपुरा दिनांक-...../...../2017

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
निदेश दिया जाता है कि अल्पकालीन निविदा को जिलाधिकारी के वेबसाईट पर डालना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल को सूचनार्थ एवं अपने जिला में प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।

# समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

पुर्ननिविदा संख्या-07/2017-18

संभावित बाढ़ 2017 के मद्देनजर प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों को शरण स्थल में आवासन हेतु टेन्ट की आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में होगी। तदनुसार निम्न विशिष्टियाँ (Specification) के टेन्ट जिसका पूर्ण विवरण नीचे अंकित है, के दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से एतद् द्वारा अलग-अलग सील बन्द तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदादाताओं को मो0-10,000/- (दस हजार) रुपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला नजारत शाखा, मधेपुरा में जमा करना है, जो जिलाधिकारी, मधेपुरा के नाम से देय होगा। 10,000/- (दस हजार) रुपये नगद भी स्वीकार किया जायेगा, जिसका नाजिर रसीद देय होगा। निविदा प्राप्ति की तिथि 28-06-2017 के अपराह्न 01:00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदायें उसी दिन 03:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाताओं एवं उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।


## (A) टेन्ट का वर्गीकरण एवं विशिष्टियाँ :-

क्र० सं०	सामग्री का नाम	साइज	अन्य विवरण	अभ्युक्ति
1	टेन्ट	सिंगल फ्लाई 4x4 मीटर	सभी आवश्यक सामग्रियों के साथ	तीन जिलों में 500-500 व्यक्तियों के आवास योग्य 2-2 मेगा कैम्पों का निर्माण किया जा सके, उतनी संख्या में टेंटों की आवश्यकता होगी।
		डबल फ्लाई 4x4 मीटर बाहरी उँचाई 2.15 मीटर	सभी आवश्यक सामग्रियों के साथ	
		टेन्ट फैलाने योग्य 4x4 मीटर	सभी आवश्यक सामग्रियों के साथ	

## निविदा की आवश्यक शर्तें :-

1. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाताओं को इस आशय का एकरारनामा भरना होगा कि आपूर्ति आदेश के बीस दिनों के भीतर स्वीकृत नमूना के अनुरूप, उचित संख्या, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुरूप सामानों की आपूर्ति निश्चित रूप से देंगे एवं आवश्यकतानुसार मधेपुरा जिला के 13 (तेरह) अंचल मुख्यालयों तक पहुँचा देंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार का परिवहन शुल्क या अन्य चार्ज देय नहीं होगा।
2. आपूर्तिकर्ता बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित हो एवं उन्हें अपनी दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम अन्तर्गत अनुज्ञप्ति, वाणिज्यकर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, PAN/TIN No. कि छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदादाताओं को इस आशय का शपथ प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनकी फर्म काली सूची में शामिल नहीं है।
4. निविदा देने के पश्चात् निविदादाताओं के द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों हेतु वाणिज्यकर विभाग से निबंधित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में निविदा अवैध होगी।
5. निविदादाता यदि बिहार प्रान्त के बाहर है तो उनका कार्यालय बिहार प्रान्त के अन्दर होना चाहिए।

6. आपूर्ति की गयी टेन्ट के गुणवत्ता में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
7. टेन्ट की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप टेन्ट की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गयी टेन्ट का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
10. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार जिला क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
11. स्वीकृत निविदादाता के द्वारा स-समय टेन्ट की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं से अनुमोदित दर पर आपूर्ति ली जा सकती है।
12. कोई भी निविदा से संबंधित दावा मधेपुरा जिला के न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा से सम्पर्क स्थापित कर सकते है।
13. आपूर्ति की गयी टेन्ट के विरुद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार बी0एस0टी0/टी0ओ0पी0 देय होगा, जिसकी कटौती एकमुश्त भुगतान के समय की जाएगी।
14. सामग्री के गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदादाताओं को अधिमानता दी जायेगी।
15. विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी, मधेपुरा के वेबसाईट <http://madhepura.bih.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

  
 जिलाधिकारी,  
 मधेपुरा।